संख्या–1901/V–2/05(आ0)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
अल्मोड़ा।

आवास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–1808/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13–11–2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय अल्मोड़ा होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील अल्मोड़ा, सोमेश्वर, जैंती, भनौली, घौलीछीना, लमगढ़ा व उप तहसील ध्याड़ी आच्छादित होगें।

(2) क्षेत्रीय कार्यालय रानीखेत अवस्थित होगा । जिसके अन्तर्गत तहसील रानीखेत, सल्ट, भिकियासैंण, स्याल्दे व उप तहसील मछोड़ आच्छादित होगें।

(3) क्षेत्रीय कार्यालय चौखुटिया होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील चौखुटिया द्वाराहाट उपतहसील जालली व बग्वालीपोखर आच्छादित होगें।

2– उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3– जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

5– अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू–भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(44)

संख्या (90) /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अल्मोड़ा ।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।